


न्यायालय में श्रीमान्

सदस्य राजस्व मंडल क्वालिफर हेल्प ऊफिसर (उमरिया रीवा क्र०

2-3121-II/12



श्री अमित वास्तव एड.
वाया अणुद्वारा
31-08-12 को
प्रस्तुत /
प्रवायु मंत्रालय
मद्रास कोर्ट ऑफिस

देवेन्द्र कुमार पिता स्व० घनश्याम प्रसाद श्रीवास्तव उम्र करीब 50 वर्ष,
निवासी ग्राम वार्ड नं० 13 चंदिया, हाल निवासी वार्ड नं० 13 पी०एच०ई०
कार्यालय उमरिया जिला उमरिया म०प्र०

2. चमन लाल पिता स्व० घनश्याम प्रसाद श्रीवास्तव उम्र करीब 32 वर्ष
निवासी वार्ड नं० 13 चंदिया थाना चंदिया, जिला उमरिया म०प्र०

..... आवेदकगण/पुनरीक्षणकर्तागण

बनाम

क्रमांक 2590
पोस्ट द्वारा अणुद्वारा
को प्राप्त

गुलबिया बाई पति अब्दुल मजीद उम्र लगभग 70 वर्ष निवासी वार्ड नं० 13
चंदिया, थाना चंदिया, जिला उमरिया म०प्र०

क्रमांक 2590
पोस्ट द्वारा अणुद्वारा
को प्राप्त

म०प्र० शासन जरिये तहसीलदार महोदय, चंदिया, जिला उमरिया म०प्र०

.....उत्तरदातागण

पुनरीक्षण अन्तर्गत धारा 50(1) म०प्र०भू०रा०सं०
आदेश श्रीमान् तहसीलदार महोदय तहसील
चंदिया के रा०प्र०क्र० 35/अ-12/2011-12
दिनांक 30.06.12

मान्यवर,

पुनरीक्षण कर्तागण की ओर से निम्नांकित निवेदन है कि :-

यह कि संक्षेप में पुनरीक्षणकर्तागण का प्रकरण इस प्रकार है कि
पुनरीक्षणकर्ता गण की ओर से राजस्व न्यायालय में राजस्व प्र०क्र०
2/अ-6अ/2002-03 धारा 115-116 में आवेदन पत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया
गया गया था कि ग्राम जटवार स्थित आराजी खसरा नं० 218 रकवा 0.821 हे०

देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव
—चमन शर्मा

53

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक R3121-II/12

जिला-उमरिया

देवेन्द्र कुमार श्रीवास्तव/ श्रीमती गुलबिया बाई

(1)	(2)	(3)
05/8/19	<p>आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री अनिल पाण्डेय उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी तहसीलदार, तहसील चंदिया के प्रकरण क्रमांक 35/अ-12/2011-12 में पारित आदेश दिनांक 30.06.2012 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत तहसीलदार द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक 23.10.19 को कलेक्टर, जिला उमरिया के समक्ष उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">(महेशचन्द्र चौधरी), सदस्य</p>	